सप्तदश माला, खंड 22, अंक 2

बुधवार, 1 फरवरी, 2023

12 माघ, 1944 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र

(सत्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 22 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

बसन्त प्रसाद
संयुक्त निदेशक

नरेश कुमार
उप निदेशक

© 2023 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence**) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

<u>विषय-सूची</u>

सप्तदश माला, खंड 22., ग्यारहवां सत्र, 2023 / 1944 (शक)

अंक 2, बुधवार, 1 फरवरी, 2023/ 12 माघ, 1944 (शक)

विषय	**पृष्ठ संख्या**
केन्द्रीय बजट – 2023-24	
श्रीमती निर्मला सीतारमण	4-37
विवरण	38
(एक) मध्यम-अवधि राजवित्तीय नीति सह राजवित्तीय नीति युक्ति; और	
(दो) वृहत-आर्थिक रूपरेखा के बारे में विवरण	
श्रीमती निर्मला सीतारमण	
अध्यक्ष द्वारा घोषणा	
सदस्यों हेतु पोर्टल पर बजट भाषण की प्रतियों की उपलब्धता	38-39
वित्त विधेयक, 2023	40

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

महासचिव

श्री उत्पल कुमार सिंह

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

बुधवार, 1 फरवरी, 2023 / 12 माघ, 1944 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुए*]

केन्द्रीय बजट – 2023-24[]

माननीय अध्यक्ष **:** आइटम नम्बर-1, माननीय वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2023-24 का बजट पेश करती हूँ। यह अमृत काल में पहला बजट है।

प्रस्तावना

इस बजट में पिछले बजट में रखी गई नींव पर सतत निर्माण करते हुए भारत@100 के लिए खींची गई रूपरेखा पर आगे बढ़ते रहने की उम्मीद की गई है। हम समृद्ध एवं समावेशी भारत की परिकल्पना करते हैं जिसमें विकास के सुफल सभी क्षेत्रों और नागरिकों, विशेषकर हमारे युवाओं, महिलाओं, किसानों, अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तक पहुंचे।

हमारी आज़ादी के 75वें साल में, दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक 'चमकता सितारा' माना है। चालू वर्ष में हमारी आर्थिक विकास दर 7प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। उल्लेखनीय बात यह है कि यह सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। यह कोविड-19 और एक युद्ध के कारण विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था के बड़े पैमाने पर सुस्त पड़ने के बावजूद संभव हुआ है। इसलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और चुनौतियों का समय होने के बावजूद उज्ज्वल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ रही है।

आज जबकि भारत के लोग अपना मस्तक ऊंचा करके खड़े हैं और दुनिया भारत की उपलब्धियों और कामयाबियों की सराहना कर रही है, हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जिन अग्रजों ने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी वे आगे बढ़ती हमारी कोशिशों को आनंदित होकर आशीर्वाद दे रहे होंगे।

[] ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8493/17/22.

अनेक संकटों के बीच समुत्थान

हमने सबका प्रयास के माध्यम से व्यापक सुधारों और ठोस नीतियों के क्रियान्वयन पर ध्यान केन्द्रित किया है जिनके परिणामस्वरूप जन भागीदारी और जरूरतमंद लोगों को लक्षित समर्थन मिल सका है, इससे हमें मुश्किल वक्त में अच्छा काम करने में मदद मिली है। दुनिया में भारत का कद कई शानदार उपलब्धियों की वजह सेबढ़ा है: अद्वितीय विश्वस्तरीय डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, यानि आधार, को-विन और यूपीआई; अभूतपूर्व पैमाने और रफ्तार से कोविड टीकाकरण अभियान; अग्रिम मोर्चों जैसे कि जलवायु संबंधी लक्ष्यों को हासिल करना, मिशन लाइफ और राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में अत्यधिक सक्रिय भूमिका इनके उदाहरण हैं।

कोविड-19 महामारी के दौरान, हमने 80 करोड़ से अधिक लोगों के लिए 28 महीनों तक मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना के साथ यह सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा न सोए। खाद्य और पोषणगत सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए, हम 1 जनवरी 2023 से पी.एम. गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अगले एक वर्ष के लिए सभी अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना लागू कर रहे हैं। लगभग 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के संपूर्ण व्यय का वहन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

जी20 अध्यक्षता: चुनौतियों के बीच वैश्विक एजेंडे को संचालित करना

वैश्विक चुनौतियों के इस दौर में जी20 अध्यक्षता हमें विश्व आर्थिक व्यवस्था में भारत की भूमिका को सशक्त करने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करती है। 'वसुधैव कुटुम्बकम' की थीम के साथ हम वैश्विक चुनौतियों का निराकरण करने के लिए और सतत आर्थिक विकास संभव करने के लिए एक महत्वाकांक्षी, लोक-केंद्रित एजेंडे पर चल रहे हैं।

वर्ष 2014 से उपलब्धियां: किसी को पीछे न छोड़ते

वर्ष 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण और गरिमापूर्ण जीवन को सुनिश्चित किया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है।

इन नौ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार भी बढ़ा है और यह दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे

बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। हमने कारोबार के लिए अनुकूल परिवेश के साथ एक सुशासित और नवोन्मेषी देश के रूप में अपनी स्थिति में उल्लेखनीय रूप से सुधार किया है जैसा कि अनेक वैश्विक सूचकांकों से प्रतिबिंबित होता है। हमने कई सतत विकास लक्ष्यों में उल्लेखनीय प्रगति की है।

अर्थव्यवस्था बहुत अधिक औपचारिक हो गई है जैसा कि वर्ष 2022 में ईपीएफओ सदस्यता के दुगुने से अधिक 27 करोड़ होने और यूपीआई के माध्यम से 126 लाख करोड़ रुपये के 7,400 करोड़ डिजिटल भुगतान से प्रतिबिंबित होता है।

लक्षित लाभों को सबके लिए सुलभ करने के साथ अनेक योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप समावेशी विकास संभव हुआ है। कुछेक योजनाएं इस प्रकार हैं:

i. स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ परिवारों के लिए शौचालय,

ii. उज्जवला के अंतर्गत 9.6 करोड़ एल.पी.जी. कनेक्शन,

iii 102 करोड़ लोगों का 220 करोड़ कोविड टीकाकरण,

iv. 47.8 करोड़ पीएम जन धन बैंक खाते,

v. पीएम सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर, और

vi. पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपये का नकद अंतरण।

अमृत काल के लिए संकल्पना - एक सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था

अमृत काल के लिए हमारी संकल्पना में, सुदृढ़ लोक वित्त और सशक्त वित्तीय क्षेत्र के साथ प्रौद्योगिकी-चालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है। इसे हासिल करने के लिए सबका साथ सबका प्रयास के माध्यम से जन भागीदारी आवश्यक है।

इस विजन को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडे में तीन चीजों पर ध्यान केंद्रित किया गया है: पहला, नागरिकों, विशेषकर युवा वर्ग को, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना; दूसरा, विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना; और तीसरा, वृहद-आर्थिक स्थिरता को सुदृढ़ करना।

भारत@100 तक की हमारी यात्रा में ध्यान दिए जाने वाले इन क्षेत्रों के लिए काम करने के लिए हमारा मानना है कि अमृत काल के दौरान निम्नलिखित चार मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं:-

1) **महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण:** दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण महिलाओं को 81 लाख स्वयं सहायता समूहों से जोड़ कर असाधारण कामयाबी हासिल की है। हम इन समूहों को बड़े उत्पादन उद्यमों या समूहों, जिनमें से प्रत्येक में कई हजार सदस्य होंगे और जिन्हें पेशेवर तरीके से संचालित किया जाएगा, के गठन के माध्यम से आर्थिक सशक्तीकरण के अगले चरण तक पहुंचने में सक्षम बनाएंगे। कच्चे माल की आपूर्ति के साथ और उनके उत्पादों की बेहतर डिजाइन, गुणवत्ता, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए उनकी सहायता की जाएगी। अनुसमर्थक नीतियों के साथ उन्हें इस बात के लिए सक्षम बनाया जाएगा कि वे बड़े उपभोक्ता बाजारों में सेवा देने के लिए अपने प्रचालनो का दायरा बढ़ाएं जैसा कि कई स्टार्ट-अप्स के तरक्की करके 'यूनिकार्न' में बदलने के मामले में हुआ है।

2) **पी.एम. विश्वकर्मा कौशल सम्मान (पी.एम. विकास):** सदियों से अपने हाथों से औजारों के सहारे काम करने वाले पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों ने भारत का नाम रौशन किया है। उन्हें सामान्यतया विश्वकर्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। उनके द्वारा बनाई गई कलाकृति और हस्तशिल्प आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना को निरूपित करते हैं। पहली बार उनके लिए सहायता पैकेज की संकल्पना बनाई गई है। यह नई स्कीम उन्हें अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार लाने, उन्हें एमएसएमई वैल्यू चेन के साथ एकीकृत होने में सक्षम बनाएगी। इस योजना के संघटकों में न केवल वित्तीय समर्थन शामिल होगा बल्कि उसमें उन्नत कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक डिजिटल तकनीकों की जानकारी और दक्ष हरित प्रौद्योगिकियों, ब्रांड प्रमोशन, स्थानीय एवं वैश्विक बाजारों के साथ संयोजन, डिजिटल भुगतानों और सामाजिक सुरक्षा के प्रति सुलभता भी शामिल होगी। इससे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गो, महिलाओं और कमजोर वर्गों के लोगों को बहुत अधिक फायदा पहुंचेगा।

3) **पर्यटन:** हमारे देश में घरेलू के साथ-साथ विदेशी पर्यटकों के लिए भी आकर्षक स्थानों की भरमार है। पर्यटन में अपार संभावनाएं हैं जिनका उपयोग किया जाना है। इस क्षेत्र में विशेषकर युवाओं के लिए नौकरियों एवं उद्यमिता के शानदार मौके हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्य, राज्यों की सक्रिय सहभागिता, सरकारी कार्यक्रमों से समन्वय और पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी के साथ मिशन मोड में किया जाएगा, ।

4) **हरित विकास:** हम हरित ईंधन, हरित ऊर्जा, हरित खेती, हरित मोबिलिटी, हरित भवन और हरित उपस्कर के लिए अनेक कार्यक्रम और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग के लिए नीतियां क्रियान्वित कर रहे हैं। हरित विकास के ये प्रयास अर्थव्यवस्था की कार्बन सघनता को कम करने में सहायता पहुंचाते हैं और हरित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नौकरियों के मौके उपलब्ध कराते हैं।

इस बजट की प्राथमिकताएं

इस बजट में निम्नलिखित सात प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं। वे एक-दूसरे का सम्पूरण करती हैं और अमृत काल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए 'सप्तर्षि' की भांति कार्य करती हैं।

1) समावेशी विकास
2) अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना
3) अवसंरचना एवं निवेश
4) सक्षमता को सामने लाना
5) हरित विकास
6) युवा शक्ति
7) वित्तीय क्षेत्र

प्राथमिकता 1: समावेशी विकास

अब, मैं प्राथमिकता संख्या 1 समावेशी विकास पर अपनी बात रखती हूँ। सबका साथ सबका विकास के सरकार के सिद्धांत ने विशेष रूप से किसानों, महिलाओं, युवा लोगों, अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांगजनों, और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को कवर करते हुए और वंचितों को वरीयता प्रदान करते हुए समावेशी विकास संभव किया है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर पर भी निरंतर ध्यान दिया गया है। यह बजट उन प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है।

कृषि एवं सहकारिता

कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना

एक खुले स्रोत, खुले मानक और अंतर-प्रचालन-योग्य लोक हित के रूप में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। इससे फसल नियोजन एवं स्वास्थ्य के लिए संगत सूचना सेवाओं, फार्म इनपुट के प्रति बेहतर सुलभता, ऋण एवं बीमा, फसल आकलन के लिए सहायता, मार्केट इंटेलीजेंस और एग्री-टेक इंडस्ट्री एवं स्टार्ट-अप्स के विकास के लिए समर्थन के माध्यम से समावेशी किसान-केन्द्रित समाधान संभव हो पाएंगे।

कृषि वर्धक निधि (एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड)

युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री-स्टार्ट-अप्स खोल सकें, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कृषि वर्धक निधि स्थापित की जाएगी। इस निधि का उद्देश्य किसानों के सामने पेश आ रही चुनौतियों का नवोन्मेषी एवं किफायती समाधान उपलब्ध कराना है। यह कृषि पद्धतियों को बदलने, उत्पादकता एवं लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियां भी लेकर आएगी।

कपास फसल की उत्पादकता बढ़ाना

अतिरिक्त लंबे रेशेदार कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) के माध्यम से क्लस्टर आधारित और वैल्यू चेन दृष्टिकोण अपनाएंगे। किसानों, राज्य और इंडस्ट्री के परस्पर सहयोग से इनपुट आपूर्ति एक्सटेंशन सेवाओं और मार्केट लिंकेजों की व्यवस्था की जाएगी।

आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम

हम 2,200 करोड़ रु. के परिव्यय से अधिक मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए रोग-मुक्त, गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे।

मिलेट के लिए वैश्विक केन्द्र 'श्री अन्न'

माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है, "भारत मिलेट को लोकप्रिय बनाने के कार्य में सबसे आगे है जिसकी खपत से पोषण, खाद्य सुरक्षा और किसानों के कल्याण को बढ़ावा मिलता है।"

हम विश्व में 'श्री अन्न' के सबसे बड़े उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक हैं। हम कई प्रकार के 'श्री अन्न' उगाते हैं जैसे कि ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना, और सामा । इनके ढेरों स्वास्थ्य फायदे हैं और सदियों से हमारे भोजन का मुख्य अंग बने रहे हैं। मैं इन 'श्री अन्न' को उगा कर देशवासियों की सेहत में योगदान करने वाले छोटे किसानों द्वारा की गई उत्कृष्ट सेवा के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूं।

अब भारत को 'श्री अन्न' के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए, भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा जिससे कि यह संस्थान सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साझा कर सके।

कृषि ऋण

कृषि ऋण के लक्ष्य को पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्यपालन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए रु. 20 लाख करोड़ तक बढ़ाया जाएगा।

मत्स्यपालन क्षेत्र

हम ₹ 6,000 करोड़ के लक्षित निवेश के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना शुरू करेंगे ताकि मछुआरे, मछली विक्रेता, सूक्ष्म तथा लघु उद्यम अपने कार्य में और अधिक सक्षम बन सकें, मूल्य शृंखला दक्षताओं में सुधार लाया जा सके और बाजार का विस्तार किया जा सके।

सहकारिता

किसानों, विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए तथा अन्य वंचित वर्गों के लिए सरकार सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा दे रही है। 'सहकार से समृद्धि' के विज़न को मूर्त रूप प्रदान करने के अधिदेश के साथ एक सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया था। इस विज़न को साकार करने के लिए सरकार ने पहले ही ₹ 2,516 करोड़ के निवेश के साथ 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों (पी.ए.सी.एस.) के कम्प्यूटरीकरण का कार्य शुरू किया है। सभी हितधारकों एवं राज्यों के साथ परामर्श करके पी.ए.सी.एस. के लिए मॉडल उप-नियम तैयार किए गए थे ताकि वे बहुउद्देशीय पी.ए.सी.एस. बनने में सक्षम हो सके। सहकारी सोसाइटियों के देशव्यापी मानचित्रण के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस तैयार किया जा रहा है।

इस पृष्ठभूमि के साथ हम व्यापक विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता बनाने के लिए एक योजना कार्यान्वित करेंगे। इससे किसानों को अपने उत्पादों का भंडारण करने और उचित समय पर उनकी बिक्री करके लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। सरकार अगले 5 वर्षों में कवर नहीं की गई पंचायतों और गांवों में बड़ी संख्या में बहुउद्देशीय सहकारी सोसाइटियों, प्राथमिक मत्स्यन सोसाइटियों और डेयरी सहकारी सोसाइटियों की स्थापना करने हेतु सुविधा प्रदान करेगी।

स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशलवर्धन

नर्सिंग कॉलेज

वर्ष 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सह-स्थानों में एक सौ सत्तावन नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।

सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन

वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरूआत की जाएगी। इसमें प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजन, 0-40 वर्ष के आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों की यूनिवर्सल स्क्रीनिंग और केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सहयोगपरक प्रयासों के माध्यम से काउंसलिंग का कार्य किया जाएगा।

चिकित्सा अनुसंधान

सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए चुनिंदा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) प्रयोगशालाओं की सुविधाएं सरकारी तथा निजी मेडिकल कॉलेज संकाय और निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास दलों को अनुसंधान के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी।

फार्मा नवाचार

फार्मास्यूटिकल्स में अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। हम विशिष्ट प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास में निवेश के लिए उद्योगों को भी प्रोत्साहित करेंगे।

चिकित्सा उपकरणों हेतु बहु-विषयक पाठ्यक्रम

मौजूदा संस्थानों में चिकित्सा उपकरणों हेतु पूर्ण समर्पित बहु-विषयक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि भविष्यत्कालिक चिकित्सा प्रौद्योगिकियों, उच्च कोटि के विनिर्माण तथा अनुसंधान के लिए कुशल जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

अध्यापकों का प्रशिक्षण

नवोन्मेषी शिक्षा विज्ञान, पाठ्यचर्या संव्यवहार, सतत पेशेवर विकास, डिपस्टिक सर्वेक्षण और आईसीटी कार्यान्वयन के माध्यम से अध्यापकों का प्रशिक्षण पुनः परिकल्पित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को जीवंत उत्कृष्ट संस्थानों के रूप में तैयार किया जाएगा।

बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय

बच्चों और किशोरों के लिए अलग-अलग इलाकों, भाषाओं, विषयों और स्तरों में गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें विभिन्न उपकरणों के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। राज्यों को उनके लिए पंचायत और वार्ड स्तरों पर प्रत्यक्ष पुस्तकालय स्थापित करने और राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय संसाधनों तक पहुंच बनाने के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और वैश्विक महामारी के समय की अधिगम क्षति को पूरा करने के लिए, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, बाल पुस्तक न्यास और अन्य स्रोतों को इन प्रत्यक्ष पुस्तकालयों में क्षेत्रीय भाषाओं तथा अंग्रेजी में पाठ्येतर विषयों की पुस्तकें उपलब्ध कराने और उनकी पुनःपूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साक्षरता के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग भी इस पहल का हिस्सा होगा। वित्तीय समझ लाने के लिए वित्तीय क्षेत्र विनियामकों और संगठनों को इन पुस्तकालयों में उम्र के हिसाब से उपयुक्त पठन सामग्री देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

प्राथमिकता 2: अंतिम छोर व व्यक्ति तक पहुंचना

प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास विभाग

का गठन किया था। 'अंतिम छोर व व्यक्ति तक पहुंचने' के उद्देश्य पर और अधिक ध्यान केन्द्रित करने के लिए हमारी सरकार ने आयुष, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी, कौशल विकास, जलशक्ति तथा सहकारिता मंत्रालयों का गठन किया है।

आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम

आकांक्षी जिले कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए इस सरकार ने हाल ही में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और आधारभूत अवसंरचना जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनिवार्य सरकारी सेवाओं की पूर्ण उपलब्धता के लिए 500 ब्लॉकों को शामिल करते हुए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया है।

प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास हेतु मिशन शुरू किया जा रहा है। विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों, जिन्हें हम पीवीटीजी के नाम से संबोधित करते हैं, की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधान मंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इसमें पीवीटीजी परिवारों और पर्यावासों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, सड़क तथा दूरसंचार संपर्कता और सतत आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध कराई जाएंगी। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले तीन वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए ₹ 15,000 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

एक्लव्य मॉडल आवासीय विद्यालय

अगले तीन वर्षों में केंद्र 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 अध्यापकों और सहायक कार्मिक नियुक्त करेगा।

सुखा प्रवण क्षेत्रों के लिए जल

कर्नाटक के सूखा प्रवण मध्य क्षेत्र में संधारणीय सूक्ष्म सिंचाई सुविधा मुहैया करने और पेयजल के लिए बहिस्तल टैंकों को भरने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को ₹ .5,300 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता दी जाएगी।

प्रधान मंत्री आवास योजना

प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए परिव्यय 66 प्रतिशत बढ़ाकर ₹ 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है।

भारत साझा पुरालेख निधान (भारत श्री)

'भारत साझा पुरालेख निधान' एक डिजिटल पुरालेख संग्रहालय में पहले चरण में एक लाख प्राचीन पुरालेखों के डिजिटलीकरण के साथ स्थापित किया जाएगा।

निर्धन कैदियों को सहायता

जेल में बंद ऐसे निर्धन व्यक्तियों, जो जुर्माना या जमानत राशि की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं, को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

प्राथमिकता 3: अवसंरचना और निवेश

अवसंरचना एवं उत्पादक क्षमता में निवेश का विकास और रोजगार पर बहु-आयामी प्रभाव पड़ता है। वैश्विक महामारी की मंदी की अवधि के बाद निजी निवेश फिर से बढ़ रहे हैं। इस बजट में निवेश और रोजगार सृजन के हितकारी चक्र को गति प्रदान करने के लिए एक बार फिर महत्व दिया गया है।

विकास और रोजगार के संवाहक के रूप में पूंजीगत निवेश

पूंजीगत निवेश परिव्यय में लगातार तीसरे वर्ष 33 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि करके इसे ₹ 10 लाख करोड़ किया जा रहा है, जो जी.डी.पी. का 3.3 प्रतिशत होगा। यह वर्ष 2019-20 के परिव्यय से लगभग तीन गुना अधिक होगा।

हाल के वर्षों में हुई पर्याप्त वृद्धि विकास संभावनाओं और रोजगार सृजन में तेजी लाने, निजी निवेशों को जोरदार तरीके से बढ़ाने और वैश्विक मंदी के प्रति सुरक्ष कवच प्रदान करने के सरकार के प्रयासों के मूल में है।

प्रभावी पूंजीगत व्यय

केंद्र द्वारा प्रत्यक्ष पूंजीगत निवेश का राज्यों को सहायता अनुदान के माध्यम से पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए किए गए प्रावधान द्वारा सम्पूरण किया जाता है। केंद्र के 'प्रभावी पूंजीगत व्यय' का बजट ₹ .13.7 लाख करोड़ होगा, जो जीडीपी का 4.5 प्रतिशत होगा।

राज्य सरकारों को पूंजीगत निवेश के लिए सहायता

मैंने अवसंरचना में निवेश में तेजी लाने और राज्यों को सम्पूरक नीतिगत कार्रवाइयों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, ₹ .1.3 लाख करोड़ के उल्लेखनीय रूप से बढ़े परिव्यय के साथ, राज्य सरकारों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को और एक वर्ष के जारी रखने का निर्णय लिया है।

अवसंरचना में निजी निवेश हेतु अवसरों में वृद्धि करना

नवस्थापित अवसंरचना वित्त सचिवालय प्रधानतया सरकारी संसाधनों पर निर्भर रहने वाली अवसंरचना, जिसमें रेलवे, सड़क, शहरी अवसंरचना और विद्युत क्षेत्र शामिल हैं, में और अधिक निजी निवेश के लिए सभी हितधारकों की सहायता करेगा।

अवसंरचना की सुमेलित मास्टर सूची

अवसंरचना की सुमेलित मास्टर सूची की अमृत काल के लिए उपयुक्त वर्गीकरण और वित्तपोषण फ्रेमवर्क की संस्तुति करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी।

रेलवे

रेलवे के लिए ₹ 2.40 लाख करोड़ के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है। अब तक का यह सर्वाधिक परिव्यय वर्ष 2013-14 में किए गए परिव्यय से लगभग 9 गुना है।

संभार तंत्र (लॉजिस्टिक्स)

पत्तनों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए शुरू से लेकर अंत तक संपर्क साधने के लिए सौ महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाएं अभिज्ञात की गई हैं। इन परियोजनाओं को, निजी स्रोतों के ₹ 15,000 करोड़ सहित ₹ 75,000 करोड़ के निवेश के साथ, प्राथमिकता दी जाएगी।

क्षेत्रीय संपर्कता (कनेक्टिविटी)

क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए पचास अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट, वाटर एयरोड्रोम और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का पुनरुद्धार किया जाएगा।

भविष्य के संधारणीय शहर

राज्यों और शहरों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे हमारे शहरों को 'भविष्य के संधारणीय शहरों' में रूपांतरित करने के लिए शहरी आयोजना सुधार और कार्रवाइयां करें। इसके लिए

भूमि संसाधनों का कुशल उपयोग करना होगा, शहरी अवसंरचना के लिए पर्याप्त संसाधनों का सृजन करना होगा, पारगमन-उन्मुखी विकास करना होगा, शहरी भूमि की उपलब्धता और वहनीयता बढ़ानी होगी और सभी के लिए अवसर प्रदान करने होंगे।

म्युनिसिपल बांड के लिए शहरों को तैयार करना

संपत्ति कर व्यवस्था में सुधार लाकर और शहरी अवसंरचना पर प्रयोक्ता प्रभार लगाकर शहरों को म्युनिसिपल बांड के लिए अपनी ऋण-प्राप्ति योग्यता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

शहरी अवसंरचना विकास निधि

आर.आई.डी.एफ. की तरह, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधारी न्यूनता के उपयोग के माध्यम से शहरी अवसंरचना विकास निधि (यू.आई.डी.एफ.) की स्थापना की जाएगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा और इसका उपयोग टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना के सृजन हेतु सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। राज्यों को यूआईडीएफ का उपयोग करते समय उपयुक्त प्रयोक्ता प्रभारों को लागू करने के लिए 15वें वित्त आयोग को अनुदान के साथ-साथ मौजूदा स्कीमों से संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हम इस उद्देश्य के लिए ₹ 10,000 करोड़ प्रति वर्ष की धनराशि उपलब्ध कराने की उम्मीद करते हैं।

शहरी स्वच्छता

सभी शहरों और कस्बों में सेप्टिक टैंकों और सीवरों का मल-कीचड़ बाहर निकालने के लिए मैन-होल को मशीन-होल के रूप में प्रयोग करके 100 प्रतिशत मशीनी तरीके से साफ किया जाएगा। सूखे और गीले अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

प्राथमिकता 4: सक्षमता को सामने लाना

माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है "सुशासन राष्ट्र की प्रगति का मूलमंत्र है। हमारी सरकार ऐसी पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध है जो आम नागरिक की बेहतरी और कल्याण के लिए कार्य करे।"

मिशन कर्मयोगी

मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत, केंद्र, राज्य और संघ राज्यक्षेत्र सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण योजनाएं

तैयार और कार्यान्वित कर रहे हैं। सरकार ने एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आईगॉट कर्मयोगी (iGOT Karmayogi) नामक एक प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है जिस पर लाखों सरकारी कर्मचारियों को अपने कौशलों का उन्नयन करने के लिए और लोक-केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए निरंतर सीखने के अवसर मिलेंगे।

'व्यापारिक सुगमता' को बढ़ावा देने के लिए 39,000 से अधिक अनुपालनाओं को कम किया गया है और 3,400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया है। विश्वास-आधारित शासन को बढ़ावा देने के लिए, हमने 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन करने के लिए 'जन विश्वास' विधेयक पेश किया है। इस बजट में हमारी अर्थव्यवस्था के सामर्थ्य को सामने लाने के लिए अनेक उपायों का प्रस्ताव किया गया है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशिएल इंटेलीजेंस) के लिए उत्कृष्टता केंद्र

"कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भारत में बनाएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से भारत के लिए कार्य कराएं" के विज़न को साकार करने के लिए, देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उद्योग जगत के अग्रणी कार्यकर्ता कृषि, स्वास्थ्य और संधारणीय शहरों के क्षेत्रों में बहु-विषयक अनुसंधान कराने, अत्याधुनिक एप्लीकेशन तैयार करने और मपनीय (स्केलेबल) समस्याओं के समाधान तैयार करने में सहभागी होंगे। इससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारगर इकोसिस्टम को प्रेरित किया जा सकेगा और इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधानों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय डाटा शासन नीति

स्टार्ट-अप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान को शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। इससे अज्ञातनाम से आने वाले डाटा तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी।

अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) प्रक्रिया का सरलीकरण

'एक आकार सबके लिए उपयुक्त' के बजाय 'जोखिम-आधारित' मानदंड अपनाकर केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों को ऐसी के.वाई.सी. प्रणाली रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो डिजिटल भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूर्णतः सहज हो।

पहचान और पते के अद्यतनीकरण के लिए वन स्टॉप समाधान

विभिन्न सरकारी एजेंसियों, विनियामकों और विनियमित निकायों द्वारा बनाए रखे गए व्यक्तियों की पहचान और पते के मिलान और अद्यतनीकरण के लिए वन स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें डिजिलॉकर सेवा और 'आधार' को मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा।

सामान्य बिजनेस पहचानकर्ता

जिन बिजनेस प्रतिष्ठानों के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) होना अपेक्षित है, उनके लिए विनिर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए पैन को सामान्य पहचानकर्ता के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इससे कारोबार करना आसान होगा और इसे विधिक अधिदेश के जरिए कार्यान्वित किया जाएगा।

एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया

एक ही सूचना को विभिन्न सरकारी एजेंसियों के पास अलग-अलग प्रस्तुत करने की अपेक्षा से बचने के लिए, 'एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया' वाली प्रणाली स्थापित की जाएगी। सूचना या विवरणी को एक सामान्य पोर्टल पर सरलीकृत प्ररूपों में दायर करने की इस प्रक्रिया को दायरकर्ता के विकल्प के अनुसार अन्य एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा।

विवाद से विश्वास I - सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए राहत

कोविड अवधि के दौरान यदि एमएसएमई अपनी संविदाओं को निष्पादित करने में विफल रहे हों, तो बोली या निष्पादन प्रतिभूति से संबंधित जब्त राशि का 95 प्रतिशत भाग सरकार और सरकारी उपक्रमों द्वारा उन्हें लौटा दिया जाएगा। इससे एमएसएमई को राहत मिलेगी।

विवाद से विश्वास II - संविदागत विवादों का निपटान

सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदात्मक विवादों, जिनमें माध्यस्थम् पंचाट को किसी न्यायालय में चुनौती दी गई है, के निपटान के लिए मानकीकृत शर्तों वाली एक स्वैच्छिक समाधान स्कीम लाई जाएगी । इसे विवाद की लंबितता के स्तर पर निर्भर रहते हुए श्रेणीकृत निपटान शर्तों की पेशकश करके किया जाएगा।

राज्य सहायता मिशन

राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की दिशा में हमारे सामूहिक प्रयासों के लिए नीति आयोग का राज्य सहायता मिशन तीन वर्षों के लिए जारी रहेगा।

परिणाम आधारित वित्तपोषण

प्रतिस्पर्धी विकास जरूरतों के लिए दुर्लभ संसाधनों को, प्रायोगिक आधार पर, बेहतर तरीके से आबंटित करने के लिए चुनिंदा स्कीमों के वित्तपोषण को 'इनपुट आधारित' से 'परिणाम-आधारित' में बदल दिया जाएगा।

ई-न्यायालय

न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए, रु. 7,000 करोड़ के परिव्यय से ई-न्यायालय परियोजना का चरण -3 शुरू किया जाएगा।

फिनटेक सेवाएं

भारत में फिनटेक सेवाओं को हमारे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, जिसमें आधार, पी.एम. जनधन योजना, वीडियो केवाईसी, इंडिया स्टैक और यू.पी.आई. शामिल हैं, के द्वारा सुगम बनाया गया है तथा और अधिक नवोन्मेषी फिनटेक सेवाएं लाने में सक्षम बनाने के लिए डिजीलॉकर में लोगों के लिए उपलब्ध दस्तावेजों के दायरे में विस्तार किया जाएगा।।

निकाय डिजिलॉकर

एमएसएमई, बड़े व्यवसायों और चेरीटेबल ट्रस्टों के प्रयोग के लिए एक निकाय डिजिलॉकर स्थापित किया जाएगा। इससे दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन स्टोर करने तथा जहां आवश्यकता हुई उन्हें विभिन्न प्राधिकरणों, विनियामकों, बैंकों और अन्य व्यावसायिक निकायों के साथ साझा करने में मदद मिलेगी।

5जी सेवाएँ

5जी सेवाओं का प्रयोग करते हुए एप्लीकेशन तैयार करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थाओं में एक सौ प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी जिनसे अनेक नए अवसरों, बिजनेस मॉडलों और रोजगार की संभावनाओं से जुड़ी जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। ये प्रयोगशालाएं अन्य बातों के साथ-साथ, स्मार्ट

कक्षाओं, सूक्ष्म-कृषि, इंटेलीजेंट परिवहन प्रणालियों और हैल्थकेयर एप्लीकेशनों को कवर करेगी।

प्रयोगशाला में उत्पन्न हीरे

प्रयोगशाला में उत्पन्न हीरे (एलजीडी) एक प्रौद्योगिकी आधारित और नवीन सिद्धांत से प्रेरित एक उभरता क्षेत्र है जिसमें रोजगार की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं।। ये हीरे पर्यावरण हितैषी हैं जिनमें वही प्रकाशीय और रासायनिक गुण होते हैं जो प्राकृतिक हीरों में होते हैं। प्रयोगशाला में उत्पन्न हीरे (एलजीडी) सीड्स और मशीनों के स्वदेश में ही उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए, एक आईआईटी को पांच वर्षों के लिए अनुसंधान और विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा।

एलजीडी के उत्पादन की लागत को कम करने के लिए एलजीडी सीड्स पर सीमा शुल्क की दर की समीक्षा करने का प्रस्ताव भाषण के भाग ख में दर्शाया जाएगा।

प्राथमिकता 5: हरित विकास

माननीय प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए "लाइफ" अथवा पर्यावरण के लिए जीवन शैली की संकल्पना प्रस्तुत की है। भारत हरित उद्योग और आर्थिक परिवर्तन को लाने के लिए वर्ष 2070 तक 'पंचामृत' और निवल-शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। यह बजट हरित विकास पर दिए गए हमारे विशेष ध्यान पर आधारित है।

हरित हाइड्रोजन मिशन

हाल ही में रु. 19,700 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाने, जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता को कम करने तथा भारत को इस उदीयमान क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और बाजार में अग्रणी बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। हमारा लक्ष्य वर्ष 2030 तक 5 एमएमटी का वार्षिक उत्पादन हासिल करना है।

ऊर्जा परिवर्तन

इस बजट में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ऊर्जा परिवर्तन तथा निवल शून्य उद्देश्यों और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में प्राथमिकता प्राप्त पूंजीगत निवेशों के लिए 35,000 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। ... (व्यवधान)...

ऊर्जा भंडारण परियोजनाएं

अर्थव्यवस्था को संधारणीय विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए 4,000 एमब्ल्यूएच की क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियो को व्यवहार्यता अंतर निधीयन के माध्यम से सहायता दी जाएगी। पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं के लिए एक विस्तृत कार्य ढांचा भी तैयार किया जाएगा।

नवीकरणीय ऊर्जा का निष्क्रमण

लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली 20,700 करोड़ रु.के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी जिसमें 8,300 करोड़ रु.की केन्द्रीय सहायता शामिल है।

हरित ऋण (क्रेडिट) कार्यक्रम

व्यवहारगत परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तरह हरित ऋण कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा । इससे कंपनियों, व्यक्तियों और स्थानीय निकायों को पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और ऐसे क्रियाकलापों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी।

पीएम - प्रणाम

"पृथ्वी माता के पुनर्रुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम" राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया जाएगा।

गोबरधन स्कीम

गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) नामक स्कीम के तहत 500 नए 'अवशिष्ट से आमदनी' संयंत्रों को चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा। इनमें 200 कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र शामिल होंगे जिनमें शहरी क्षेत्रों में 75 तथा 300 समुदाय या क्लस्टर आधारित संयंत्र हैं जिनमें कुल लागत 10,000 करोड़ रु.होगी। मैं भाग ख मे इसका जिक्र करूंगी। प्राकृतिक और बायो गैस का विपणन कर रहे सभी संगठनों के लिए 5 प्रतिशत का सीबीजी अधिदेश यथासमय लाया जाएगा। बायो-मास के संग्रहण और जैव-खाद के वितरण के लिए उपयुक्त राजकोषीय

सहायता प्रदान की जाएगी।

भारतीय प्राकृतिक खेती बायो-इनपुट संसाधन केंद्र

अगले 3 वर्षों में, हम 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देंगे। इसके लिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क बनाते हुए 10,000 बायो-इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ... (व्यवधान)

मिश्टी

वन-रोपण मे भारत को मिली सफलता के आधार पर, मनरेगा, सीएएमपीए कोष और अन्य स्रोतों के बीच तालमेल के माध्यम से तटीय रेखा के साथ-साथ और लवण भूमि पर, जहां भी व्यवहार्य हो मैंग्रोव पौधरोपण के लिए 'तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंगोव पहल' मिश्ती की शुरुआत की जाएगी। ... (व्यवधान)

अमृत धरोहर

आर्द्रभूमि जैव विविधता का धारण करने वाली अतिमहत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपनी सबसे हाल की मन की बात में कहा है, : "अब हमारे देश में रमसर साइटों की कुल संख्या बढ़कर 75 हो गई है। जबकि 2014 से पहले, इनकी संख्या मात्र 26 थी...."(व्यवधान) स्थानीय समुदाय संरक्षण के प्रयासों में हमेशा आगे रहे हैं। सरकार अमृत धरोहर स्कीम के माध्यम से इनके विशिष्ट संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देगी। इस स्कीम को आर्द्रभूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने तथा जैव-विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरणीय-पर्यटन के अवसरों तथा स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन बढ़ाने के लिए अगले तीन वर्षों में कार्यान्वित किया जाएगा।

तटीय नौवहन

तटीय नौहवन को व्यवहार्यता अंतर निधियन के साथ सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) रीति के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा क्योंकि यह यात्रियों और माल-भाड़े दोनों के लिए परिवहन की ऊर्जा कुशल एवं कम लागत वाली प्रणाली है।

वाहनों का प्रतिस्थापन

वाहन प्रतिस्थापन निरंतर जारी रहने वाली महत्वपूर्ण नीति है पुराने राजनीतिक .... क्षमा करें। ... (व्यवधान) मुझे पता है। ... (व्यवधान) बिल्कुल सही, धन्यवाद। पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को बदलना। ... (व्यवधान) शायद लागू हो। सही है। ... (व्यवधान) प्रदूषण करने वाले पुराने वाहनों को बदलना हमारी अर्थव्यवस्था को पर्यावरण-हितैषी बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। बजट 2021-22 में उल्लिखित वाहन स्क्रैपिंग की नीति को और बढ़ावा देने के लिए, मैंने केंद्र सरकार के पुराने वाहनों को स्क्रैप में देने के लिए पर्याप्त निधियां आबंटित की हैं। राज्यों को भी पुराने वाहनों और एंबुलेंसों को बदलने के लिए सहायता दी जाएगी।

प्राथमिकता क्षेत्र 6: युवा शक्ति

हमारे युवाओं को सशक्त करने के लिए और 'अमृत पीढ़ी' के सपने को साकार करने में मदद करने के लिए, हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की है यद्यपि इसका दायरा बहुत बड़ा है परन्तु हमने कौशलवर्द्धन पर ध्यान केन्द्रित किया है , बड़ें पैमाने पर रोजगार सृजन करने में सहायक आर्थिक नीतियां अपनाई हैं और व्यवसाय के अवसरों का समर्थन किया है।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना

अगले तीन वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। ऑन-जॉब प्रशिक्षण, उद्योग साझेदारी और उद्योग की जरूरतों के साथ पाठ्यक्रमों के संरेखण पर जोर दिया जाएगा। यह योजना इंडस्ट्री 4.0 जैसे कोडिंग, एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) रोबोटिक्स, मेकाट्रानिक्स, आईओटी, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोनों और सॉफ्ट स्किल जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को शामिल करेगी। युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग-अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे।

स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म

निम्नलिखित लक्ष्य हासिल करने के लिए एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर कौशलवर्द्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार प्रदान किया जाएगा:

1) मांग आधारित औपचारिक कौशलवर्द्धन सक्षम करने,

2) एमएसएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ने, और

3) उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करने।

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना

अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत तीन वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्तिका सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण शुरू किया जाएगा।

पर्यटन

एक एकीकृत और नवोन्मेषी दृष्टिकोण से, कम से कम 50 गंतव्य स्थलों का चैलेंज मोड से चयन किया जाएगा। पर्यटक अनुभव को संवर्धित करने के लिए प्रत्यक्ष कनेक्टिविटी, वर्चुअल कनेक्टिविटी, टूरिस्ट गाइड, फूड स्ट्रीट और पर्यटक सुरक्षा के उच्च मानक जैसे पहलुओं के अलावा, सभी प्रासंगिक पहलुओं को एक ऐप पर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक गंतव्य स्थल को एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्यटन विकास का फोकस घरेलू पर्यटकों और साथ ही साथ विदेशी पर्यटकों पर होगा।

'देखो अपना देश' पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशलवर्द्धन और उद्यमिता विकास का का समन्वयन स्थापित किया जाएगा। यह पहल मध्यम वर्ग के नागरिकों को विदेशी पर्यटन के बदले घरेलू पर्यटन को प्राथमिकता देने की प्रधान मंत्री की अपील से शुरु की गयी थी। थीम आधारित पर्यटन सर्किटों के एकीकृत विकास के लिए, 'स्वदेश दर्शन योजना' शुरू की गई थी। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत सीमावर्ती गाँवों में पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

यूनिटी मॉल

राज्यों को उनके स्वयं के ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद), जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी बिक्री करने के लिए और शेष राज्यो के ऐसे उत्पादों को स्थान उपलब्ध कराने के लिए अपनी-अपनी राजधानियों में या सबसे प्रमुख पर्यटन केन्द्र पर या उनकी वित्तीय राजधानी में एक यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

प्राथमिकता 7: वित्तीय क्षेत्र

वित्तीय क्षेत्र में किए गए हमारे सुधार कार्यों और प्रौद्योगिकी के नवोन्मेषी उपयोग से बड़े पैमाने पर वित्तीय समावेशन हो पाया है, सेवा डिलीवरी बेहतर और त्वरित हो गयी है, ऋण उपलब्धता और वित्तीय बाजारों में प्रतिभागिता सुगम हो गई है। यह बजट इन सुधारों को जारी रखने का प्रस्ताव करता है।

एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी

पिछले वर्ष, मैंने एम.एस.एम.ई. के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीकृत करने का प्रस्ताव दिया था। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि कायिक निधि में रु. 9,000 करोड़ जोड़कर नवीकृत योजना को 1 अप्रैल, 2023 से शुरू किया जाएगा। इससे अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रु. का संपार्श्विक-मुक्त गारंटीकृत ऋण संभव हो पाएगा। इसके अलावा, ऋण की लागत की लागत में करीब एक प्रतिशत की कमी आएगी।

राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री

वित्तीय और अनुषंगी सूचना की केंद्रीय रिपोजिटरी के रूप में काम करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। इससे ऋण का कुशल प्रवाह संभव होगा, वित्तीय समावेशन के बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी।

एक नया विधायी फ्रेमवर्क इस क्रेडिट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विनियमित करेगा और इससे आरबीआई के साथ परामर्श कर डिजाइन किया जाएगा।

वित्तीय क्षेत्र विनियम

अमृत काल की जरूरतों को पूरा करने के लिए और वित्तीय क्षेत्र में इष्टतम विनियमन सुगम करने के लिए, यथावश्यक और व्यवहार्य लोक परामर्श को विनियम निर्माण प्रक्रिया में और अनुषंगी निदेश जारी करने की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

अनुपालना को सरल बनाने, आसान करने और इसकी लागत को कम करने के लिए वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों से मौजूदा विनियमों की व्यापक समीक्षा करने का अनुरोध किया जाएगा। इसके लिए, वे आम लोगों और विनियमित संस्थाओं से प्राप्त सुझावों पर विचार करेंगे। विभिन्न विनियमों के अंतर्गत आवेदनों पर निर्णय लेने की समय सीमाएं भी निर्धारित की जाएंगी।

जीआईएफटी आईएफएससी

जीआईएफटी आईएफएससी में बिजनेस गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे:

1. दोहरे विनियमन से बचने के लिए एसईजेड अधिनियम के अंतर्गत आईएफएससीए को शक्तियां प्रत्यायोजित की जाएंगी,
2. आईएफएससीए, एसईजेड प्राधिकारियों, जीएसटीएन, आरबीआई, सेबी और आईआरडीएआई से पंजीकरण और अनुमोदन के लिए सिंगल विंडो आईटी सिस्टम की स्थापना करना,
3. विदेशी बैंकों के आई.एफ.एस.सी. बैंकिंग यूनिटों द्वारा अधिग्रहण वित्तपोषण की अनुमति देना,
4. ट्रेड रि-फाइनेंसिंग के लिए एक्जिम बैंक की एक सहायक संस्था की स्थापना करना,
5. माध्यस्थम्, अनुषंगी सेवाओं के लिए और एसईजेड अधिनियम के तहत दोहरे विनियमन से बचने के लिए सांविधिक प्रावधानों के लिए आई.एफ.एस.सी.ए. अधिनियम में संशोधन करना, और
6. विदेशी व्युत्पन्न लिखतों को वैध संविदाओं के रूप में मान्यता देना।

डाटा दूतावास

डिजिटल निरंतरता समाधान ढूंढने वाले देशों के लिए, हम जीआईएफटी आईएफएससी में उनके डाटा दूतावासों की स्थापना सुगम करेंगे।

बैंकिंग क्षेत्र में शासन-व्यवस्था और निवेशक संरक्षण में सुधार लाना

बैंक शासन-व्यवस्था में सुधार लाने के लिए और निवेशक संरक्षण बढ़ाने के लिए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, बैंककारी कंपनी अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में कुछेक संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

प्रतिभूति बाजार में क्षमता निर्माण

प्रतिभूति बाजार में कार्य निष्पादकों और पेशेवरों की क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान में शिक्षा हेतु मानदंड और स्तर तैयार करने, विनियमित करने, बनाए रखने और प्रवर्तित करने के लिए और डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट को मान्यता प्रदान करे हेतु सेबी को सशक्त किया जाएगा।।

केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र

कंपनी अधिनियम के अंतर्गत फील्ड कार्यालयों में दाखिल विभिन्न फॉर्मों के केन्द्रीकृत प्रबंधन के माध्यम से कंपनियों के त्वरित रिस्पांस के लिए एक केन्द्रीय डाटा संसाधन केन्द्र की स्थापना की जाएगी।

<u>मध्याह्न 12.00 बजे</u>

शेयरों और लाभांशों का पुनः दावा

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण से निवेशक अदावी शेयरों और अप्रदत्त लाभांशों का आसानी से पुनः दावा कर सकें, इसके लिए एक एकीकृत आईटी पोर्टल स्थापित किया जाएगा।

डिजिटल भुगतान

डिजिटल भुगतान को व्यापक स्वीकृति मिलना जारी है। वर्ष 2022 में, इनमें लेनदेन में 76 प्रतिशत की और मूल्य में 91 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राजकोषीय सहायता वर्ष 2023-24 में भी जारी रखी जाएगी।

आजादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत पत्र

आजादी का अमृत महोत्सव के स्मरणस्वरूप, मार्च 2025 तक, दो वर्ष की अवधि के लिए एक एककालिक नई लघु बचत योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। यह महिलाओं या बालिकाओं के नाम पर आंशिक आहरण विकल्प के साथ 2 वर्षों की अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत की नियत ब्याज दर पर 2 लाख रु. तक की जमा सुविधा का प्रस्ताव देगा।

वरिष्ठ नागरिक

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को रु. 15 रु. लाख से बढ़ाकर 30 लाख रु. कर दिया जाएगा।

मासिक आय खाता स्कीम के लिए अधिकतम जमा सीमा को एकल खाते के लिए 4.5 लाख रु. से

बढ़ाकर 9 लाख रु. और संयुक्त खाते के लिए 9 लाख रु. से बढ़ाकर 15 लाख रु. कर दिया जाएगा।

राजकोषीय प्रबंधन

राज्यों को पचास वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण

राज्यों के निमित्त संपूर्ण पचास वर्षीय ऋण को वर्ष 2023-24 के अंदर पूंजीगत व्यय पर खर्च किए जाने हैं। इनमें से अधिकांश ऋण व्यय राज्यों के विवेक पर निर्भर करेंगे, परन्तु इस ऋण का एक हिस्सा उनके द्वारा वास्तविक पूंजी व्यय को बढ़ाने की शर्त पर दिया जाएगा। इस परिव्यय के हिस्से निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए भी जोड़े या आबंटित किए जाएंगे:

- पुराने सरकारी वाहनों की स्कैपिंग,
- शहरी आयोजना सुधार और कार्रवाइयां,
- शहरी स्थानीय निकायों में वित्तीय सुधार ताकि नगरपालिका बांड के लिए साख बन सके,
- पुलिस स्टेशनों के ऊपर या उसके भाग के रूप में पुलिसकर्मियों के लिए आवास सुविधा,
- यूनिटी मॉल का निर्माण,
- बाल और किशोर पुस्तकालय और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, और
- केंद्रीय स्कीमों के पूंजीगत व्यय में राज्य का हिस्सा।

राज्यों के राजकोषीय घाटे

राज्यों को जी.एस.डी.पी. के 3.5 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5 प्रतिशत विद्युत क्षेत्र के सुधार से जोड़ा जाएगा।

संशोधित अनुमान 2022-23

उधारियों से इतर कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान ₹ 24.3 लाख करोड़ है, जिसमें से निवल कर प्राप्तियां ₹ 20.9 लाख करोड़ है। कुल व्यय का संशोधित अनुमान ₹ 41.9 लाख करोड़ है, जिसमें से पूंजीगत व्यय लगभग ₹ 7.3 लाख करोड़ है।

राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6.4 प्रतिशत है, जो बजट अनुमान के अनुरूप है।

बजट अनुमान 2023-24

वर्ष 2023-24 में, उधार के अलावा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः रु. 27.2 लाख करोड़ और रु. 45 लाख करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। निवल कर प्राप्तियाँ रु. 23.3 लाख करोड़ रहने का अनुमान है।

राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वर्ष 2021-22 के अपने बजट भाषण में, मैंने यह घोषणा की थी कि हम कालांतर में राजकोषीय घाटे को सतत रूप से अच्छी तरह कम करने के साथ, वर्ष2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे रखने के लिए राजकोषीय समेकन के मार्ग पर चलते रहने की योजना बना रहे हैं। हमने इस मार्ग का अनुसरण करना जारी रखा है और मैं अपना इरादा दोहराती हूं कि हम वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत के नीचे ले आएंगे।

वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण करने के लिए, दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारियां 11.8 लाख करोड़ रु. होने का अनुमान लगाया गया है। शेष वित्तपोषण लघु बचतों और अन्य स्रोतों से आने की अपेक्षा है। सकल बाजार उधारियां 15.4 लाख करोड़ रु. होने का अनुमान लगाया गया है।

अब मैं अपने भाषण के भाग ख को पढ़ती हूं।

भाग ख

अप्रत्यक्ष कर

मेरे अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, घरेलू विनिर्माण में बढ़ोतरी करना, घरेलू मूल्य वर्द्धन को बढ़ाना, हरित ऊर्जा और हरित गतिशीलता को प्रोत्साहित करना है।

कर दरों की संख्या में कमी के साथ सरलीकृत कर संरचना, अनुपालना भार को कम करने और कर शासन प्रणाली में सुधार लाने में मदद करती है। मैं वस्त्रों और कृषि को छोड़कर वस्तुओं पर बेसिक सीमा शुल्क दरों की संख्या को कम कर 21 से 13 करने का प्रस्ताव करती हूं। इसके परिणामस्वरूप, खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल और नैफ्था सहित कुछ वस्तुओं पर बेसिक सीमा शुल्कों, उपकरों और

अधिभारों में मामूली परिवर्तन हुआ है।

हरित गतिशीलता (ग्रीन मोबिलिटी)

मिश्रित संपीड़ित प्राकृतिक गैस पर कर प्रपात से बचने के लिए, मैं उसमें सम्मिलित कंप्रेस्ड बायो गैस, जिस पर माल एवं सेवा कर का भुगतान किया गया है उस पर उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करती हूँ। हरित गतिशीलता को और संवेग प्रदान करने के लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रयुक्त बैटरियों के लिथियम-आयन सेलों के विनिर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी के आयात के लिए सीमा शुल्क में छूट दी जा रही है।

इलेक्ट्रॉनिक्स

चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम सहित सरकार की विभिन्न पहलों के परिणामस्वरूप, भारत में मोबाइल फोन का उत्पादन वर्ष 2014-15 के करीब 18,900 करोड़ रु. मूल्य के 5.8 करोड़ यूनिट से बढ़कर पिछले वित्तीय वर्ष में 2,75,000 करोड़ रु. से अधिक मूल्य के 31 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया है। मोबाइल फोनों के विनिर्माण में घरेलू मूल्य वर्द्धन को और बढ़ाने के लिए, मैं कुछेक पुर्जों और कैमरा लेंसों जैसे आदानों के आयात पर बेसिक सीमा शुल्क में राहत देने और लीथियम-आयन बैटरी सेलों पर रियायती शुल्क को एक और वर्ष के लिए जारी रखने का प्रस्ताव करती हूं।

इसी तरह, टेलीविजन के विनिर्माण में मूल्य वर्द्धन को बढ़ावा देने के लिए, मैं टीवी पैनल के ओपन सेलों के कुछ पुर्जों पर बेसिक सीमा शुल्क को घटाकर 2.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूँ।

इलेक्ट्रिकल

शुल्क संरचना के व्युत्क्रमण में दोष सुधार करने के लिए और इलेक्ट्रिक रसोई घर चिमनियों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए, इलेक्ट्रिक रसोई घर चिमनियों पर बेसिक सीमा शुल्क को 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने और इस उपकरण के हीट क्वायलों पर सीमा शुल्क को 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूं।

रसायन और पेट्रोरसायन

रसायन उद्योग में डिनेचर्ड इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। मैं इस पर बेसिक सीमा शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव करती हूँ। यह इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम में भी सहायता मिलेगी और ऊर्जा

के स्रोत को बदलने के हमारे प्रयास सुगम होंगे। एसिड ग्रेड फ्लोर्सपार पर बेसिक सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत से कम कर 2.5 प्रतिशत किया जा रहा है ताकि घरेलू फ्लोरोकेमिकल्स उद्योग प्रतिस्पर्धी बना रहे। इसके अलावा, एपिकोलोरहाइड्रिन के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चे ग्लिसरीन पर बेसिक सीमा शुल्क को 7.5 प्रतिशत से कम कर 2.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है।

समुद्री उत्पाद

पिछले वित्तीय वर्ष में, समुद्री उत्पादों में उच्चतम निर्यात संवृद्धि दर्ज की गई जिससे देश के तटीय राज्यों में रहने वाले कृषकों को फायदा हुआ है। समुद्री उत्पादों विशेष रूप से झींगों (श्रिम्प) की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और बढ़ाने के लिए, श्रिम्प फीड के घरेलू विनिर्माण के लिए मुख्य इनपुट पर शुल्क को कम किया जा रहा है।

प्रयोगशाला-निर्मित हीरे

जैसा कि मैंने अपने भाषण के भाग क में कहा था - भारत प्राकृतिक हीरों की कटाई और तराशी में विश्व में अग्रणी स्थान रखता है और मूल्य की दृष्टि से वैश्विक कारोबार का करीब तीन चौथाई हिस्से का योगदान करता है। प्राकृतिक हीरों के भंडार में कमी आने से, यह उद्योग प्रयोगशाला निर्मित हीरों (एल.जी.डी.) की ओर बढ़ रहा है और इस क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए, मैं उसके विनिर्माण में प्रयुक्त बीजों पर बेसिक सीमा शुल्क को घटाने का प्रस्ताव करती हूँ।

बहुमूल्य धातु

सोने के डोरे और बारों और प्लेटिनम पर सीमा शुल्क को इस राजकोषीय वर्ष में पहले बढ़ाया गया था। मैं अब शुल्क विभेदों को बढ़ाने के लिए उनसे बने सामानों पर शुल्कों को बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं चांदी के डोरे, बारों और सामानों पर भी आयात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ ताकि उन्हें सोने और प्लेटिनम के साथ संरेखित किया जा सके।

धातु

इस्पात क्षेत्र के लिए कच्चे माल की उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए, सीआरजीओ स्टील के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री, लौह स्क्रैप और निकेल कैथोड पर बेसिक सीमा शुल्क छूट को जारी रखा जा रहा है।

इसी प्रकार, द्वितीयक तांबा (कॉपर) उत्पादकताओं, जो मुख्यतया एमएसएमई क्षेत्र में हैं, के लिए कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कॉपर स्क्रैप पर 2.5 प्रतिशत की रियायती बीसीडी को जारी रखा जा रहा है।

संमिश्रित रबर

शुल्क की परिवंचना को रोकने के लिए संमिश्रित रबर पर बेसिक सीमा शुल्क को बढ़ाकर, लेटेक्स को छोड़कर अन्य प्राकृतिक रबर के बराबर, 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत या 30 रुपये प्रति किलोग्राम, जो भी कम हो, किया जा रहा है।

सिगरेट

विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (एन.सी.सी.डी.) को तीन वर्ष पूर्व संशोधित किया गया था। इसमें लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है।

प्रत्यक्ष कर

मैं अब प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव पर आती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन प्रस्तावों का उद्देश्य कर संरचना की निरंतरता और स्थिरता बनाए रखना, अनुपालना भार को कम करने के लिए विभिन्न प्रावधानों का और सरलीकरण और उन्हें युक्तिसंगत बनाना, उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करना और नागरिकों को कर राहत प्रदान करना है।

आयकर विभाग अनुपालना को आसान और निर्बाध बनाने के लिए करदाता सेवाओं में सुधार करने का सतत् प्रयास करता रहा है। हमारे करदाता पोर्टल को एक दिन में अधिकतम 72 लाख रिटर्न प्राप्त हुए हैं; और इस पोर्टल ने इस वर्ष 6.5 करोड़ से अधिक रिटर्न संसाधित किए हैं; औसत संसाधन अवधि को वित्तीय वर्ष 13-14 में 93 दिवस से घटाकर अब केवल 16 दिन कर दिया गया है; और 45 प्रतिशत रिटर्न 24 घंटे के अंदर संसाधित कर दिए गए थे। हम इसमें और सुधार करने का इरादा रखते हैं, करदाताओं की सुविधा हेतु अगली पीढ़ी के के सामान्य आईटी रिटर्न फॉर्म लाने और साथ ही शिकायत निवारण तंत्र को और सुदृढ करने की योजना बना रहे हैं।

एमएसएमई और पेशेवर

एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था की संवृद्धि के इंजन हैं। 2 करोड़ रु.तक के टर्नओवर वाले सूक्ष्म उद्यम और 50 लाख रु.तक के टर्नओवर वाले कुछ पेशेवर, प्रकल्पित (प्रिजंपटिव) कराधान का लाभ उठा सकते हैं। मैं इन सीमाओं को उन करदाताओं के लिए क्रमशः 3 करोड़ रु.और 75 लाख रु. तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ जिनकी नकदी प्राप्तियां 5 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं। इसके अलावा, एमएसएमई को समय पर भुगतान की प्राप्ति में सहायता करने के लिए, मैं उन पर व्ययित खर्चों के लिए कटौती को तभी अनुमत करने का प्रस्ताव करती हूँ जब उनका भुगतान वास्तविक रूप से कर दिया गया हो।

सहकारिता

सहकारिता एक सराहनीय अवधारणा है। हमारे प्रधानमंत्री जी के "सहकार से समृद्धि" के लक्ष्य को साकार करने के लिए और "सहकार की भावना को अमृत काल की भावना से जोड़ने" के उनके संकल्प की सिद्धि हेतु, भाग क में प्रस्तावित उपायों के अतिरिक्त, मेरे पास सहकारिता क्षेत्र के लिए कई प्रस्ताव हैं।

पहला प्रस्ताव, दिनांक 31 मार्च, 2024 तक विनिर्माण गतिविधियां शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों को 15 प्रतिशत की कम कारपोरेट कर दर का लाभ मिलेगा जैसा कि वर्तमान में नई विनिर्माण कंपनियों को मिलता है।

दूसरा प्रस्ताव, मैं चीनी सहकारी समितियों को निर्धारण वर्ष 2016-17 की अवधि से पहले गन्ना किसानों को किए गए भुगतानों का व्यय के रूप मे दावा करने के लिए एक अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। इस प्रस्ताव से संभावित राहत रु. 10,000 करोड़ रु.की होगी।

तीसरा प्रस्ताव, मैं प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पी.ए.सी.एस.) और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (पी.सी.ए.आर.डी.बी) को नकद में दिए गए जमा एवं ऋणों हेतु प्रति सदस्य 2 लाख रु. की उच्चतर सीमा प्रदान करती हूँ। मैं इसे दोहराती हूँ। तीसरा प्रस्ताव, मैं प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (पीसीएआरडीबी) को नकद में दिए गए जमा एवं ऋणों हेतु प्रति सदस्य 2 लाख रु. की उच्चतर सीमा प्रदान कर रही हूँ।

इसी प्रकार, सहकारी समितियों को टी.डी.एस. के लिए नकदी आहरण पर रु. 3 करोड़ की उच्चतर सीमा प्रदान की जा रही है।

स्टार्ट-अप

देश के आर्थिक विकास के लिए उद्यमिता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमने स्टार्ट-अप के लिए कई उपाय किए हैं और उनके परिणाम भी निकले हैं। भारत वर्तमान में वैश्विक स्तर पर स्टार्ट-अप के लिए तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, और मध्यम आय वाले देशों के बीच नवाचार गुणवत्ता में इसका दूसरा स्थान है। मैं स्टार्ट-अप द्वारा आयकर लाभ प्राप्त करने हेतु निगमन की तारीख 31.03.23 से बढ़ाकर 31.03.2024 करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसके अलावा मैं स्टार्ट-अप की शेयरधारिता में परिवर्तन कर हानियों के अग्रेनयन के लाभ को निगमन के सात वर्ष से 10 वर्ष तक प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ।

अपीलें

आयुक्त स्तर पर अपीलों के लंबन को कम करने के लिए, मैं छोटी अपीलों को निपटाने के लिए लगभग 100 संयुक्त आयुक्तों की तैनाती का प्रस्ताव करती हूँ। हम इस वर्ष पहले से प्राप्त विवरणियों को जांच के लिए चुनने हेतु और अधिक सेलेक्टिव रहेंगे।

कर रियायतों का बेहतर लक्षित करना

कर रियायतों और छूटों को बेहतर लक्षित करने के लिए, मैं धारा 54 और 54च के तहत आवासीय गृह में किए गए निवेश पर पूंजीगत लाभों से कटौती की सीमा को रु. 10 करोड़ करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसी उद्देश्य से दूसरा प्रस्ताव अत्यधिक मूल्य वाली बीमा पॉलिसियों की आय की आयकर छूट को सीमित करना है।

युक्तिसंगत बनाना

माननीय अध्यक्ष महोदय, युक्तिसंगत बनाने और सरलीकरण से संबंधित कई प्रस्ताव हैं। आवासन, शहरों, नगरों और गांवों के विकास या किसी गतिविधि अथवा मामले को विनियमित करने और विकसित करने के उद्देश्य से संघ अथवा राज्यों के कानूनों तहत स्थापित प्राधिकरणों, बोर्डों और आयोगों की आय को आयकर से छूट देने का प्रस्ताव है। इस दिशा में अन्य प्रमुख उपाय निम्नानुसार हैं:-

- ऑनलाइन खेल के लिए, टीडीएस.10,000/- रु की न्यूनतम सीमा को हटाना तथा उससे

संबंधित करदेयता प्रावधानों को स्पष्ट करना;

- सोने को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में और विलोमतः परिवर्तित करने को पूंजीगत लाभ के रूप में नहीं माना जाएगा ;
- गैर-पैन मामलों में ईपीएफ आहरण के कर योग्य भाग पर टी.डी.एस. दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करना; और
- मार्केट लिंक्ड डिबेंचर से प्राप्त आय पर कराधान।

अन्य

वित्त विधेयक में अन्य मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित से संबंधित हैं:

- आईएफएससी, गिफ्ट सिटी को अंतरित निधियों के कर लाभों की अवधि को 31.03.2025 तक बढ़ाना;
- आयकर अधिनियम की धारा 276क के तहत गैर-अपराधीकरण;
- आईडीबीआई बैंक के साथ-साथ रणनीतिक विनिवेश के मामले में हानियों को अग्रेनित करना; और
- अग्निवीर निधि को ईईई स्तर प्रदान करना।

व्यक्तिगत आयकर

अब, मैं वह बात कहना चाहती हूं जिसका सबको इंतजार है -- व्यक्तिगत आयकर। इस संबंध में मुझे पांच प्रमुख घोषणाएं करनी हैं। यह मुख्यतः हमारे परिश्रमी मध्यम आय वर्ग के लाभ के लिए है।

पहली घोषणा रिबेट से संबंधित है। वर्तमान में, पुरानी और नई दोनों कर व्यवस्थाओं में 5 लाख रु. तक की आय वाले व्यक्ति किसी प्रकार के आयकर का भुगतान नहीं करते हैं। मैं रिबेट की सीमा को नई कर व्यवस्था में 7 लाख रु. तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ। इस प्रकार, नई कर व्यवस्था में 7 लाख रु. तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा।

दूसरा प्रस्ताव मध्यम आय वर्ग से संबंधित है। मैंने वर्ष 2020 में 2.5 रु. लाख से शुरू करते हुए छह आयकर स्लैब वाली नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था शुरु की थी। मैं स्लैबों की संख्या घटाकर पांच करते

हुए और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रु. करते हुए इस व्यवस्था में कर संरचना को बदलने का प्रस्ताव करती हूँ। कर की नई दरें निम्नानुसार हैं:

0-3 लाख रूपए	शून्य
3-6 लाख रूपए	5 प्रतिशत
6-9 लाख रूपए	10 प्रतिशत
9-12 लाख रूपए	15 प्रतिशत
12-15 लाख रूपए	20 प्रतिशत
15 लाख रूपए से ऊपर	30 प्रतिशत

इससे नई कर व्यवस्था में सभी करदाताओं को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। रु. 9 लाख की वार्षिक आय वाले किसी व्यक्ति को केवल 45,000/- रु. का भुगतान करना होगा। यह उसकी आय का केवल 5 प्रतिशत है। यह अब उसके द्वारा भुगतान किए जा रहे कर अर्थात् 60,000/- रु. पर 25 प्रतिशत की कटौती है। अत: यह धनराशि 60,000/- रु. के स्थान पर अब यह मात्र 45,000/- रु. हो गयी है। इसी प्रकार, 15 लाख रु. की आय वाले किसी व्यक्ति को केवल 1.5 लाख रु. या उसकी आय के 10 प्रतिशत का भुगतान करना होगा, जो कि उसकी मौजूदा देयता अर्थात् 1,87,500/- रु. से 20 प्रतिशत की कटौती है। मेरा तीसरा प्रस्ताव वेतनभोगी वर्ग और पारिवारिक पेंशनभोगी सहित पेंशनभोगी वर्ग के लिए है। जिनके लिए मैं मानक कटौती लाभ को नई कर व्यवस्था में भी विस्तारित करने का प्रस्ताव करती हूँ। प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति, जिसकी आय 15.5 लाख रु. या इससे अधिक है, को परिणामस्वरूप 52,500 रु. का लाभ मिलेगा। व्यक्तिगत आयकर में मेरी चौथी घोषणा हमारे देश की अधिकतम कर की दर, जो 42.74 प्रतिशत है, से संबंधित है। यह विश्व में सबसे अधिक दरों में से एक है। मैं नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार को 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसके परिणामस्वरूप अधिकतम कर दर घटकर 39 प्रतिशत हो जाएगी।

अंततः, गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश के नकदीकरण पर 3 लाख रु. तक की सीमा की छूट अंतिम बार वर्ष 2002 में नियत की गई थी, जब सरकार में अधिकतम मूल वेतन 30,000/- रु. प्रति माह था। सरकारी वेतन में वृद्धि के अनुरूप, मैं इस सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रु. करने का प्रस्ताव करती हूँ।

हम डिफॉल्ट कर व्यवस्था के रूप में नई कर व्यवस्था भी बना रहे हैं।। तथापि, नागरिकों को पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठाने का विकल्प भी जारी रहेगा।

इनके अलावा, मैं अनुबंध में दिए गए अनुसार कुछ और परिवर्तन भी कर रही हूं।

इन प्रस्तावों के परिणामस्वरूप, लगभग 38,000 करोड़ रु. जिसमें से 37,000 करोड़ रु. प्रत्यक्ष करों के तथा 1,000 रु. अप्रत्यक्ष करों के राजस्व को परित्यक्त किया जाएगा, जबकि लगभग 3,000 करोड़ रु. का अतिरिक्त राजस्व जुटाया जाएगा। इस प्रकार, कुल वार्षिक परित्यक्त राजस्व लगभग रु. 35,000 करोड़ रु. होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं बजट इस सम्मानित सभा को सौंपती हूँ।

अपराह्न 12.27 बजे

विवरण

(एक) मध्यम-अवधि राजवित्तीय नीति सह राजवित्तीय नीति युक्ति;

और

(दो) वृहत-आर्थिक रूपरेखा संबंधी विवरण –सभा पटल पर रखा गया[1]

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष **:** आइटम नंबर 2, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री(श्रीमती निर्मला सीतारमण): महोदय, मैं राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 की धारा 3(1) के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखती हूँ:-

1. मध्यम-अवधि राजवित्तीय नीति सह राजवित्तीय नीति युक्ति संबंधी विवरण; और

2. वृहत-आर्थिक रूपरेखा संबंधी विवरण।

अपराह्न 12.27 1/2 बजे

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

सदस्यों हेतु पोर्टल पर बजट भाषण की प्रतियों की उपलब्धता

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार भाग-2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध करायी गयी हैं। आप बजट भाषण की अपनी-अपनी प्रति प्रकाशन पटल से ले लें। आपको यह भी सूचित

[1] सभा पटल पर रखे गए और ग्रंथालय में भी रखे गए। देखिये संख्या एल.टी॰ 8494/47/22.

किया जाता है कि माननीय मंत्री जी द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् उसकी प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएंगी।

———————

अपराह्न 12.28 बजे

वित्त विधेयक, 2023*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष **:** आइटम नंबर 3 , माननीय मंत्री जी।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित (**) करती हूँ।

माननीय अध्यक्ष: वित्त विधेयक, 2023 पुर: स्थापित किया गया।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही गुरुवार, 2 फरवरी, 2023 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 12.29 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, दिनांक 02 फरवरी, 2023/ 13 माघ, 1944 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

[1] *भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 01.02.2023 में प्रकाशित।
**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2023 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित